न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 283/2016/223 आर टी ए

जसवीरसिंह पुत्र गुखत्यारसिंह जाति रामगढिया निवासी मकान नं. 19026 बीबीवाला रोड़ बठिण्डा तहसील व जिला बठिण्डा पंजाब।

––अपीलांट

बनाम

1. बलवंतसिह पुत्र मुखत्यारसिंह जाति रामगढ़िया निवासी जण्डवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. मुखत्यारसिंह पुत्र ईशरसिंह जाति रामगढ़िया निवासी जण्डवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. गुरजण्टसिंह पुत्र मुखत्यारसिंह जाति रामगढ़िया निवासी जण्डवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. मनजीतकौर पत्नि जसवीरसिंह जाति रामगढिया निवासी मकान नं. 19026 बीबीवाला रोड़ बठिण्डा तहसील व जिला बठिण्डा पंजाब।
5. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

––– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 26.09.2016 व डिक्री दिनांक 27.09.2016 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ प्र0सं0 31/2015 अनवानी बलवंतसिंह बनाम जसवीरसिंह आदि

उपस्थित :–
श्री बलविन्द्र सिंह अधिवक्ता अपीलांट
श्री खुशप्रीतसिंह अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1
श्री राजेशदीप राय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3
श्री खुश करण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 5

निर्णय दिनांकः–26.07.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वादपत्र प्रस्तुत करते हुये कथन किया कि चक नं. 7 जेआरके के खाता सं. 44/33 प.न. 94/248 कि.न. 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22 कुल 2.530 है0 व चक 7 जेआरके खाता सं. 77/66 प.न. 91/249 कि.न. 1, 2/0.031, 3/0.031, 4/0.032

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कुल 0.379 है0 दर्ज है। जिसमे उपरोक्त 10 बीघा भूमि वर्तमान मे अपीलांट जसवीरसिंह के नाम व 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि यानि 0.379 है0 भूमि मे रेस्पो0 मनजीतकौर के नाम दर्ज है। यह भूमि संयुक्त परिवार कीसम्पति है जो कि पैतृक है तथा यह भी कथन किया कि अपीलांट प्रतिवादी सं. 1 ने सब जज थर्ड कलास बठिण्डा के समक्ष प्रतिवादी सं. 3 के विरूद्ध दायर किया जो प्रकरण संख्या 1386/05. 11.1990 था इस वाद के जरिये अपीलांट को वादग्रस्त 10 बीघा का मालिक घोषित किया गया। ऐसी डिक्री को उक्त न्यायालय ने अधिकारिता से बाहर जाकर पारित की गई होने से यह मूलतः ही अवैध व शून्य है। शेष 1.10 बीघा भूमि को मुखत्यारसिंह ने प्रतिवादिया मनजीतकौर के पक्ष मे दो बैयनामे दिनांक 29.07.2006 के जरिये 1 बीघा व बैयनामा दिनांक 04.08.2007 के जरिये शेष 10 बिस्वा भूमि को विक्रय किया है। इस बैचान को करने का कोई अधिकार मुखत्यारसिंह को प्राप्त नही था। यह समस्त भूमि संयुक्त परिवार की सम्पति होने की वजह से इसमे वादी, मुखत्यारसिंह, जसवीर सिंह व गुरजन्टसिंह का बहिस्सा बराबर का हक निहित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र स्वीकार करते हुए चक नं. 7 जेआरके के खाता सं. 44/33 प.न. 94/248 कि.न. 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22 कुल 2.530 है0 भूमि के वादी, मुखत्यारसिंह, जसवीर सिंह व गुरजन्टसिंह का बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पूर्णतया विधि विरूद्ध है। अपीलांट के पक्ष मे सिविल न्यायालय की डिक्री 19.10.91 को पारित होकर प्रश्नगत 10 भूमि का नामान्तरण 1992 मे अपीलांट के नाम से स्वीकृत हुआ। इस डिक्री को अपास्त करवाने हेतु एक वाद अपीलांट के पिता मुखत्यारसिंह ने न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन बठिण्डा के समक्ष वाद सं.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1/2014 दायर किया था जो कि बाद मे दिनांक 12.04.2014 को विद्ड्रा कर लिया था। ऐसी अवस्था मे उपरोक्त सिविल न्यायालय की डिक्री प्रभाव अन्तिम हो गया। वादी प्रत्यक्षी सं. 1 के द्वारा भी आज तक उक्त सिविल न्यायालय की डिक्री को किसी भी अपील न्यायालय मे चुनौती देकर अपास्त नही करवाया है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ राजस्व न्यायालय को सिविल न्यायालय के द्वारा पारित डिक्री को नजरअंदाज कर वादी बलवंतसिंह के पक्ष मे घोषणात्मक डिक्री पारित करने का कोई अधिकार ही प्राप्त नही था। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट की पत्नि रेस्पो0 सं. 4 मनजीतकौर के पक्ष मे पंजीकृत करवाये गये विक्रय पत्रो को सिविल न्यायालय से अपास्त करवाये बिना इन्हे नजरअंदाज कर इस खरीदशुदा भूमि मे अन्य व्यक्तियों क्रमशः वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर का हकदार घोषित करने एवं रेस्पो0 सं. 4 का नाम विलोपित करने की कोई अधिकारिता अधीनस्थ न्यायालय को नही थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट व रेस्पो0 सं. 4 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नही किया गया है। तामील को साधारण डाक से एवं व्यक्तिगत तौर पर सम्मन व नोटिस भिजवाकर करवाने की विधिक प्रक्रिया को नही अपनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद के जरिये प्रस्तुत किये अभिकथनो व वादी के कथित के विधिक अधिकारो के संबंध मे किसी भी प्रकार का तथ्यात्मक व विधिक विवेचन नही किया गया है। वादी/रेस्पो0 सं. 1 ने प्रश्नगत भूमि के पैतृक सम्पति होने संबंधी कोई अभिलेख वाद मे प्रस्तुत नही किया है। इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय द्वारा इस भूमि को संयुक्त परिवार की सम्पति मानकर विधिक भूल की है। प्रश्नगत भूमि पर अपीलांट का निरपेक्ष धारण है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये

चक 7 जेआरके खाता सं. 44/33 प.न. 94/248 के कि.न. 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22 कुल 2.530 है0 आराजी के अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है जो सही है। विचारण न्यायालय द्वारा जो आदेश किया गया है वह विधि अनुसार किया गया है। सिविल न्यायालय बठिण्डा द्वारा वादग्रस्त आराजी बाबत जो अपीलांट को मालिक घोषित किया गया है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सिर्फ खातेदारी अधिकारो की घोषणा हो सकती है न कि कृषि भूमि का मालिक घोषित किया जा सकता है तथा राजस्थान मे स्थित कृषि भूमि बाबत फैसला करने का अधिकार पंजाब के न्यायालय को नही है जिस कारण से आदेश व डिक्री सिविल न्यायालय बठिण्डा दिनांक 19.10.1991 क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण वॉयड है। न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 2004 पेज 128 के अनुसार राजस्थान राज्य की भूमि बाबत अन्य राज्य (सिविल न्यायालय बठिण्डा) के द्वारा पारित निर्णय अवैध एवं शून्य है। इस दृष्टि से सिविल न्यायालय बठिण्डा का अधिकार क्षेत्र ही राजस्थान राज्य मे स्थित भूमि पर लागू नही है तो सिविल न्यायालय बठिण्डा के, द्वारा राजस्थान राज्य की भूमि पर अपीलांट को स्वामी या मालिक घोषित करने का किसी प्रकार का क्षेत्राधिकार नही है और निहित क्षेत्राधिकार के अभाव मे सिविल न्यायालय बठिण्डा द्वारा पारित डिक्री पूर्णतया शून्य है। अपीलांट स्वयं द्वारा सिविल न्यायालय बठिण्डा के समक्ष जो वादपत्र पेश किया उसमे वादग्रस्त भूमि को पुश्तैनी होने बाबत अपीलांट का एडमिशन है तथा वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी होने के नाते अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 ता 3 का बहिस्सा बराबर का हक व हिस्सा है। विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पो0 सं. 4 के नाम दर्ज 0.379 है0 की घोषणा अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 ता 3 के नाम नही की गई। 0.379 है0 भूमि की घोषणा करने के तथ्य अपीलांट द्वारा अपील मे गलत दर्ज किये गये है। अपीलांट द्वारा बिना किसी आधार के अपील प्रस्तुत की गई है। अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आरआरडी 2004 पेज 128, डीएनजे 2013 पेज 667 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व मे रेस्पो0 सं. 3 मुखत्यारसिंह के नाम से दर्ज थी जिसमे मुखत्यारसिंह के साथ अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 व 3 बहिस्सा बराबर के हकदार है। जबकि अपीलांट का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि घरूबंटवारा मे अपीलांट को प्राप्त हुई है जिसके कारण अपीलांट द्वारा अन्य सम्पति के साथ घरूबंटवारा मे प्राप्त भूमि का वाद सिविल न्यायालय बठिण्डा के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो अपीलांट के पक्ष मे डिक्री किया गया। उक्त डिक्री के आधार पर ही वादग्रस्त भूमि अपीलांट के नाम दर्ज हुई है। परन्तु रेस्पो0 सं. 1 ने अपीलांट व रेस्पो0 सं. 4 की तामील विधिवत रूप से ना करवाते हुए अपीलांट व रेस्पो0 सं. 4 को बिना सुने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री हासिल की है।'' वादग्रस्त भूमि राजस्थान राज्य मे स्थित है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध मे अपीलांट द्वारा वाद सिविल न्यायालय बठिण्डा के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो अपीलांट के पक्ष मे डिक्री किया जाकर डिक्री के आधार पर मालिक घोषित करते हुए उक्त भूमि अपीलांट के नाम गलत रूप अंकित की गई है क्योंकि सिविल न्यायालय बठिण्डा द्वारा वादग्रस्त आराजी बाबत अपीलांट को मालिक घोषित किया गया है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सिर्फ खातेदारी अधिकारो की घोषणा हो सकती है न कि कृषि भूमि का मालिक घोषित किया जा सकता है। राजस्थान राज्य मे भूमि का स्वामी/मालिक राज्य सरकार है और काश्तकारो को खातेदार व गैर खातेदार कृषक के रूप मे लगान पर काश्तकारी अधिकार दिये हुए है। राजस्थान मे स्थित कृषि भूमि बाबत फैसला करने का अधिकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पंजाब के न्यायालय को नही है जिस कारण से आदेश व डिक्री सिविल न्यायालय बठिण्डा दिनांक 19.10.1991 क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण वॉयड है। न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 2004 पेज 128 के अनुसार राजस्थान राज्य की भूमि बाबत अन्य राज्य (सिविल न्यायालय बठिण्डा) के द्वारा पारित निर्णय अवैध एवं शून्य है। इस दृष्टि से सिविल न्यायालय बठिण्डा के न्यायालय का अधिकार क्षेत्र ही राजस्थान राज्य मे स्थित भूमि पर लागू नही है तो सिविल न्यायालय बठिण्डा जो कि सिविल न्यायालय है, द्वारा राजस्थान राज्य की भूमि पर अपीलांट को स्वामी या मालिक घोषित करने का किसी प्रकार का क्षेत्राधिकार नही है। अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण मे पूर्णतया चस्पा होते है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा क्षेत्राधिकार के बिन्दू के संबंध मे ऐसा कोई न्यायिक दृष्टांत या न्यायिक प्रावधान प्रस्तुत नही किये गये है।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट व रेस्पो0 सं. 4 की विधिवत तामील जरिये रजिस्टर्ड एडी करवाई गई जिसमे अपीलांट का पता जो अपील मे दर्ज है उसी पते पर करवाई गई है तथा बाद तामील उपस्थित न आने के कारण अपीलांट व रेस्पो0 सं. 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई है। इस प्रकार तामील के संबंध मे किसी प्रकार की त्रुटि होना प्रतीत नही होता है। अपीलांट का यह तर्क मानने योग्य नही है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र मे अपीलांट व रेस्पो0 की तामील विधिवत तरीके से नही करवाई गई हो। जहां तक अपीलांट का यह तर्क कि ''अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट की पत्नि रेस्पो0 सं. 4 मनजीतकौर के पक्ष मे पंजीकृत करवाये गये विक्रय पत्रो को सिविल न्यायालय से अपास्त करवाये बिना इन्हे नजरअंदाज कर इस खरीदशुदा भूमि मे अन्य व्यक्तियों क्रमशः वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर का हकदार घोषित करने एवं रेस्पो0 सं. 4 का नाम विलोपित करने की कोई अधिकारिता अधीनस्थ न्यायालय को नही थी।'' उक्त तर्क मानने योग्य नही है।

क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय मे यह उल्लेखित किया गया है कि '' प्रतिवादी सं. 4 के पक्ष मे प्रतिवादी सं. 3 द्वारा करवाये बैयनामा रजिस्टर्ड दस्तावेजात होने के कारण उक्त बैयनामा को निरस्त करने का अधिकार हाजा न्यायालय को नही होने के कारण उक्त बैयनामा मे वर्णित आराजी भूमि के सबंध मे चाहा गया अनुतोष वादी को दिया सम्भव नही है।'' इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बैयनामा मे वर्णित चक 7 जेआरके खाता सं. 77/66 खाता मनजीत कौर जमाबंदी सं. 2066–69 मे प.न. 91/249 मु.न. 21 कि.न. 1/0.253, 2/0.031, 3/0.031, 4/0.032 कुल 0.379 है0 कृषि भूमि को छोड़ते हुए शेष आराजी भूमि चक नं. 7 जेआरके के खाता सं. 40/33 खाता जसवीर सिंह जमाबंदी सं. 2066–69 प.न. 94/248 मु.न. 13 कि.न. 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22/0.253 है0 प्रत्येक कुल तादादी 2.530 है0 भूमि मे अपीलांट जसवीरसिंह के स्थान पर अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जिसमे किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक/विधिक त्रुटि प्रकट नही होने के हस्तक्षेप किया जाना न्यायसंगत नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को यथावत रखा जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनवानी बलवंतसिंह बनाम जसवीरसिंह आदि प्रकरण संख्या 31/2015 मे पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.09.2016 व डिक्री दिनांक 27.09.2016 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री व सीगे अपील

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0
अपील संख्या – 283/2016/223 आर टी ए

जसवीरसिंह पुत्र गुखत्यारसिंह जाति रामगढिया निवासी मकान नं. 19026 बीबीवाला रोड़ बठिण्डा तहसील व जिला बठिण्डा पंजाब।

––अपीलांट

बनाम

1. बलवंतसिह पुत्र मुखत्यारसिंह जाति रामगढ़िया निवासी जण्डवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. मुखत्यारसिंह पुत्र ईशरसिंह जाति रामगढ़िया निवासी जण्डवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. गुरजण्टसिंह पुत्र मुखत्यारसिंह जाति रामगढ़िया निवासी जण्डवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. मनजीतकौर पत्नि जसवीरसिंह जाति रामगढिया निवासी मकान नं. 19026 बीबीवाला रोड़ बठिण्डा तहसील व जिला बठिण्डा पंजाब।
5. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

––– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 26.09.2016 व डिक्री दिनांक 27.09.2016 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ प्र0सं0 31/2015 अनवानी बलवंतसिंह बनाम जसवीरसिंह आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री बलविन्द्र सिंह अधिवक्ता अपीलांट, श्री खुशप्रीतसिंह अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 एवं श्री राजेशदीप राय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3 व श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 5 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनवानी बलवंतसिंह बनाम जसवीरसिंह आदि प्रकरण संख्या 31/2015 मे पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.09.2016 व डिक्री दिनांक 27.09.2016 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 26.07.2018 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ